अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 42–44/2012–13

सरोजनी देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेश्पोण्डेन्ट्स

–: **आदेश** :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 50–2 आई.सी.डी.एस. दिनांक 09.10.2012 अन्दर वाद संख्या– 111/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 42/2012–13 दायर किया गया है जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त अपीलवाद ऑगनबाड़ी केन्द्र दास टोला केन्द्र सं0–83 पंचायत– शाहपुर, परियोजना सत्तरकटैया से संबंधित है ।

बाद पुकारा गया । उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया ।

अपीलीय न्यायालय में वाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता नामांकन बिन्दु पर बहस करते हुए कथन करते हैं कि दिनांक 07.05.2012 को 10.00 बजे पूर्वाहन् में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सत्तरकटैया एवं नीतु कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा

चयनमुक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी पर बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते है कि एक साजिश के तहत सेविका, महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपीलार्थी को केन्द्र पर नियमित कार्य करने पर भी उपस्थिति नहीं बनाने दिया गया है जिसके कारण जॉच के कम में अनुपस्थित पाया गया ।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता बहस में कथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप पर स्पष्टीकरण में आरोप का जबाब न देकर केन्द्र प्रभारी सेविका के कार्य का उल्लेख किया गया है तथा निरीक्षी पदाधिकारी पर भी आरोप लगाया गया है । सरकारी अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि यदि सेविका एवं अन्य पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करने दिया गया तो अपीलार्थी द्वारा उच्चाधिकारी को इसकी ससमय शिकायत करनी चाहिये थी, परन्तु सहायिका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण जो निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित है, में उच्चाधिकारी को अपने शिकायत/समस्या से अवगत कराने के विषय में उल्लेख नहीं है । अतएव निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया है । सरकारी अधिवक्ता निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना । अपीलवाद के तथ्यों तथा अपीलवाद के साथ संलग्न निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकनोपरांत न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखकर अपीलार्थी को पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अपने उपर लगाए गए आरोप पर जबाव न देकर केन्द्र प्रभारी सेविका के कार्य का उल्लेख के साथ–साथ निरीक्षण पदाधिकारी पर भी आरोप लगया गया जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए चयनमुक्ति का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत हेता है। अस्तु प्रस्तुत अपीलवाद नामांकन बिन्दु पर अस्वीकृत। इसी के साथ अपीलवाद निस्तारित किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

20/7/17

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

20/7/17

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।